न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V, ... एच०जे०एस०

(J.O. Code- UP 6546)

दाण्डिक निगरानी संख्या 210 सन 2025

(CNR No. UPFT-01005606 2025)

सलमान अहमद पुत्र मोईन अहमद निवासी ग्राम मोहम्मदपुर गौंती थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर।

..... निगरानीकर्ता

प्रति

राज्य उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता सलमान अहमद की ओर से दाण्डिक वाद संख्या 384 सन 2024 मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2022 सरकार बनाम सलमान आदि धारा 188, 269, 270, 171 भारतीय दण्ड संहिता व 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर के मामले में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–2 फतेहपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 29.03.2025 व दिनांकित 05.08.2025 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत क्रमश: प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता व प्रार्थनापत्र दिनांकित

17.03.2025 को निरस्त कर दिया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस उपनिरीक्षक आजाद सिंह चौकी प्रभारी अफोई थाना सुल्तानपुर घोष की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुल्तानपुर घोष में निगरानीकर्ता सलमान अहमद व अन्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2022 सरकार बनाम सलमान आदि धारा 188, 269, 270, 171 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर पंजीकृत हुआ, जिसमें विवेचक ने विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण सलमान व पप्पू सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और उनके द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर उनके विरुद्ध कोविड–19 प्रोटोकाल के उल्लंघन से सम्बन्धित मुकदमें को सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 7787 सन 2001 विनय कुमार एवं एक अन्य बनाम सरकार उ०प्र० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.10.2021 के अनुपालन में मुकदमें को समाप्त किये जाने की याचना की। उक्त प्रार्थनापत्र को विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 29.08.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया। तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 05.03.2025 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखने से रह गयें हैं। उन महत्वपूर्ण तथ्यों को अतिरिक्त कथन के रुप में इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर दाखिल कर रहें है। अतएव पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 के साथ पढे जाने व विचार में लिये जाने हेतु इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अतिरिक्त अभिकथन को प्रार्थनापत्र दिनांक 05.3.2025 के साथ शामिल कर प्रार्थनापत्र धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता को निस्तारित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 17.3.2025 के साथ संलग्न अतिरिक्त कथन में निगरानीकर्ता द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.10.2021 तथा उसके अनुपालन में प्रमुख सचिव उत्तर–प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जारी पत्र दिनांकित 26.10.2021 के दायरे में नही आता है तो भी उपरोक्त मुकदमें में धारा 171 F आई०पी०सी० व धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं। धारा 171 F आई०पी०सी० निर्वाचनों में असम्यक असर डालने व प्रतिरूपण के लिये दण्ड का प्राविधान करती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा तैयार किये गये प्रपत्रों एवं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये आरोपपत्र को यदि पूर्ण रूप से उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाये तो भी धारा 171सी के तहत निर्वाचनों में असम्यक असर डालने के लिये किये जाने वाले कृत्य व कृत्य के प्रयत्नों में यह मामला नहीं आता है। किसी भी पार्टी का सदस्य होना और उसका प्रचार व प्रसार करना प्रत्येक नागरिक का भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है और ऐसे वैध अधिकार के प्रयोग को धारा 171 सी की उपधारा 3 के तहत निर्वाचनों में असम्यक असर डालने की श्रेणी में नही माना गया है। कोविड़–19 व आचार संहिता के नियमों का पालन न कर धारा 144 जा०फौ० का उल्लघंन करने के परिणामस्वरूप मात्र धारा 188 आई०पी०सी० के तहत अपराध बनता है, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.10.2021 व प्रमुख सचिव उत्तर–प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा जारी पत्र दिनांकित 26.10.2021 के दायरे में आता है। इसी प्रकार धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी आवेदकगण द्वारा किये गये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अभियोजन का स्वयं का यह केस नहीं है कि आवेदकगण ने किसी election meeting में कोई disturbance कारित किया हो। अभियोजन द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध कोविड़–19 व आचार संहिता के नियमों का उल्लघंन करते हुये अपने पक्ष में बिना अनुमति माइक लगाकर नारेबाजी व प्रचार–प्रसार करते हुये सपा कार्यालय जाना कहा गया है। ऐसी स्थिति में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन के आधार पर मात्र धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध गठन करता है। अतएव धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही रोककर आवेदकगण को

उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–2, फतेहपुर ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने के उपरान्त क्रमश: प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता को आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2025 व प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2025 अन्तर्गत धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता को आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया है।

3. संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि व तथ्य के विपरीत है और अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं। विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय पत्रावली का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि अवर न्यायालय ने 17.03.2025 के पूरक आवेदन पर अपने आदेश में चर्चा नहीं की और न ही दोनों आवेदनों में आवेदक द्वारा दिए गए तथ्यों और कथनों पर विचार किया। विद्वान अवर न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के आधार पर दिनांक 17.03.2025 के आवेदन को अनदेखा करते हुए दिनांक 05.08.2025 का आदेश पारित किया । विद्वान अवर न्यायालय ने कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है और मात्र यांत्रिक ढंग से आदेश पारित किया है। अतएव निगरानी को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.01.2026 को अपास्त करने की याचना की गयी है।

4. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा तथा आलोच्यादेश एवं अवर न्यायालय की मूल पत्रावली सहित सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. विद्वान अवर न्यायालय के जिन प्रश्नगत आदेश को इस निगरानी में चुनौती दी गयी है, उन आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता को आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2025 व प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2025 अन्तर्गत धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता को आक्षेपित आदेश दिनांक 05.08.2025 के द्वारा निरस्त किया गया

है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पुलिस उपनिरीक्षक आजाद सिंह चौकी प्रभारी अफोई थाना सुल्तानपुर घोष की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुल्तानपुर घोष में निगरानीकर्ता सलमान अहमद व अन्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2022 सरकार बनाम सलमान आदि धारा 188, 269, 270, 171 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना सुल्तानपुर घोष जिला फतेहपुर पंजीकृत हुआ, जिसमें विवेचक ने विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण सलमान व पप्पू सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। दौरान मुकदमा अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया। इस प्रार्थनापत्र को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 के आदेश से निरस्त कर दिया गया। इससे पूर्व एक प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2025 को प्रस्तुत किया गया तथा इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अतिरिक्त कथन के आधार पर धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जो उनके द्वारा पूर्व में प्रार्थनापत्र दिनांक 05.03.2025 अन्तर्गत धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 239 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिया गया था, उसी के साथ इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न अतिरिक्त कथन इस प्रार्थनापत्र दिनांक 17.03.2025 में कहे गयें हैं। प्रस्तुत प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या 1042 डब्लू०सी०/सात–न्याय–5–2021–494 डब्लू सी/2021 न्याय अनुभाग–5 (फौजदारी) दिनांकित 26.10.2021 जारी किया गया, जिसमें कोविड–19 प्रोटोकाल के उल्लंघन के परिणामस्वरुप दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लिये जाने सम्बन्धी प्रावधान किया गया है और लोक अभियोजक को उक्त कोविड–19 प्रोटोकाल के उल्लंघन के परिणामस्वरुप दर्ज आपराधिक मुकदमों को वापस लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कोविड–19 के उल्लंघन में दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लिये जाने के लिए केवल लोक अभियोजक ही अधिकृत है तथा अभियुक्त को कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में अभियुक्तगण द्वारा मामले को वापस लिये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

किया गया है, जिसको अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2025 के आदेश से निरस्त किया जा चुका है। चूँकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.03.2025 को दिनांक 29.03.2025 को खारिज किया गया है ऐसी स्थिति में धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.03.2025 को निरस्त कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। इस कारण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.03.2025 व 05.08.2025 में कोई अवैधनिकता नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय का आदेश विधि अनुसार है, जिसमें किसी हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत होने के कारण पुष्ट किये जाने योग्य है तथा निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता सलमान अहमद की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 29.03.2025 व दिनांक 05.08.2025 पुष्ट किया जाता है।

अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजी जाय। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 20.05.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

दिनांक: 20.05.2026

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.05.21 12:23:50 +05'30'